CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2023/08/SUP-CRA/04 **21st Feb 2023**

To

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter III (FY 2022-23)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders.

2. CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations which ultimately benefit the Subscribers.

3. The list of functionalities that have been developed and made available by CRAs during Quarter III of the current FY 2022-23 is attached herewith for benefit of subscribers and other stakeholders (Annexure I, II and III).

4. The circular is placed in the intermediary section of CRA on PFRDA website for the information of all NPS/APY stake holders.

Yours sincerely,

Digitally signed by K MOHAN GANDHI

Chief General Manager

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone: 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

Annexure I - Functionalities released by Protean CRA during Q3 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	NPS Prosperity Planner (NPP) - Self Planning cum Advisory tool for adequacy in Retirement Income	Introduction of NPS Prosperity Planner (NPP) (on the basis of Cohort data). Under NPP following three options are available to Subscribers: 1. How much Pension Subscriber will receive? 2. How much Pension Subscriber will need? 3. What Subscriber should do to achieve that?
2	Withdrawal due to Death	In case of Govt. Sector, if Death of the Subscriber is after Date of Retirement, then maximum 60% of the corpus paid as lump sum and minimum 40% to buy annuity.
3	Optional PAN during Withdrawal	PAN field shall be optional for Govt of Sikkim and J & K mapped Subscribers while initiating withdrawal request due to death.
4	Reduction in Withdrawal timelines	Reduction in Withdrawal timelines for processing of Partial/Conditional Withdrawal requests in Same Day Pay-in.
5	Submission of Partial Withdrawal through self declaration through nodal officers in Govt Sector	1. Self-declaration based Partial/Conditional withdrawal of Subscriber and direct processing at CRA system has been disabled for Govt. Sector. 2. The partial withdrawal request based on self declaration needs to be submitted through the nodal officers online or off line for processing.
6	NPS Regular - Settlement (separate bucket to identify employer and employee contributions)	Creation of a separate bucket to identify employer and employee contributions implemented at the time of contribution upload.
7	NPS Lite / APY - Dashboard	System access to PFRDA/SLBCs for State/District level Dashboard reports: 1. State Level Bankers' Committee (SLBC) requires reports on fortnightly basis to monitor the progress of the Bank branches present under the state. 2. To monitor progress, Dashboard reports created in the NPS Lite application which can be accessed by SLBC. 3. User IDs for SLBC has been created for access of Dashboard Reports.

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
8	Withdrawal due to Incapacitation	Subscriber to have an additional option for Withdrawal under the category i.e. "Withdrawal due to Incapacitation".
9	NPS Regular - Family Income Option	1. NPS - Family Income Option can be selected by Nodal Office/Subscriber irrespective of marital status 2. Even if the marital status is “Unmarried”, scheme can be selected by Nodal Office/ Subscriber.
10	Changes due to CCS rules	1. At present as part of CCS rules, while submitting details of Form 1 and 2, there are only two options available for selection i.e., ‘Benefits under CCS (Pension) Rules,1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules,1939’ and ‘Benefits under the National Pension System (NPS)’. 2. Two new options i.e., ‘CCS pension invalid flag’ and ‘Death within 90 days after resignation flag’ has been added in addition to existing options.

Annexure II - Functionalities released by KFin CRA during Q3 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	Exit & Withdrawal document upload	1. Provision has been provided to Nodal office / POP/ Subscriber to upload documents while initiating Exit & Withdrawal request. 2. The said functionality has been enabled in eNPS login as well as in CRA system.
2	Option to input either % or amount while initiating Partial withdrawal request.	1. The Subscriber has an option to input either % or amount while initiating Partial withdrawal request. 2. The said functionality has been enabled in e-NPS login as well.
3	Inter Sector shifting (ISS) of Government subscribers	1. Functionality released for Nodal Office for Govt. subscriber where PRAN can be Flagged as N for Inter Sector Shifting in CRA system. 2. For such subscribers, the system allows the government to withhold a part or in whole the employer contribution in case it is established that the subscriber has caused a pecuniary loss to the employer as per the provisions of exit regulations.
4	Partial Withdrawal for NPS Govt subscribers	1. Self-declaration based Partial/Conditional withdrawal of Subscriber and direct processing at CRA system has been disabled for Govt. Sector. 2. The partial withdrawal request along with self-declaration needs to be submitted through the nodal officers online or offline for processing.

Annexure III - Functionalities released by CAMS CRA during Q3 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	Subscriber servicing functionalities -Non-Commercial Transactions	Enhancement in the following subscriber servicing functionalities: 1. KYC based update for Name, DOB, Gender, Address, Photo and Signature 2. Nominee 3. FATCA 4. RA ID 5. Statement preference - Physical/ email 6. POP Shifting from eNPS 7. Tier-II account activation
2	Subscriber servicing functionalities -Commercial Transactions	1. PFM Change 2. Scheme Preference Change 3. One-way switch – transfer of funds from Tier II to Tier I
3	Digital authorization of subscriber registration form	Digital authorization of subscriber registration form done via double OTP.
4	Longer validity of Subscriber's login password	Increased the validity of the subscriber login password from 30 days to 90 days.
5	NPS Prosperity Planner (NPP) - Self Planning cum Advisory tool for adequacy in Retirement Income	NPS Prosperity Planner available through the subscriber's login.
6	Account Aggregator - Data Push as FIP	CAMS CRA will perform the role of Financial Information Provider (FIP) under Account Aggregator (AA) Framework.
7	Withdrawal Status View (My Withdrawal Module MWM)	Subscriber can view the status of credit of proceeds of their withdrawal request, without having to log into his NPS account.

परिपत्र

परिपत्र सं. : पीएफआरडीए/2023/08/एसयूपी-सीआरए/04 **21 फरवरी 2023**

प्रति,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : सीआरए द्वारा तिमाही III (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान जारी एनपीएस/एपीवाई कार्यप्रणालियाँ

पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए,) एनपीएस/एपीवाई हितधारकों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थागत कार्यप्रणालियाँ विकसित करते हैं।

2. सीआरए की जिम्मेदारी है कि वे अभिदाताओं के हित में, अपने दायित्वों को समय से पूरा करने के लिए नई कार्यप्रणालियों या उपयोगिताओं को विकसित करें, नई प्रक्रियाएं स्थापित करें, अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के कई मॉडल प्रदान करें ताकि अभिदाताओं के लाभ हेतु परिचालन के मामले में अधिकतम लचीलापन प्रदान किया जा सके।

3. सीआरए द्वारा अभिदाताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान विकसित और उपलब्ध कराई गई कार्यप्रणालियों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक I, II और III)

4. सभी एनपीएस/एपीवाई हितधारकों की जानकारी के लिए, इस परिपत्र को पीएफआरडीए वेबसाइट पर "intermediary section of CRA" के तहत रखा गया है।

भवदीय,

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI

मुख्य महाप्रबंधक

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone: 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

अनुलग्नक I - वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान प्रोटियन सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ

सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर (एनपीपी) - सेवानिवृत्ति आय में पर्याप्तता के लिए SELF PLANNING CUM ADVISORY उपकरण	एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर (एनपीपी) की शुरुआत (समेकित आकड़ों के आधार पर)। एनपीपी के अंतर्गत अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं - 1. अभिदाता को कितनी पेंशन मिलेगी? 2. अभिदाता को कितनी पेंशन की जरूरत होगी? 3. इसे पाने के लिए अभिदाता को क्या करना चाहिए?
2	मृत्यु के कारण निकासी	सरकारी क्षेत्र के मामले में, यदि सेवानिवृत्ति के बाद अभिदाता की मृत्यु होती है, तो उसके कॉर्पस का अधिकतम 60% एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान के लिए और न्यूनतम 40% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है।
3	निकासी के दौरान वैकल्पिक पैन	सिक्किम सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मैप किए गए अभिदाताओं के लिए मृत्यु के कारण निकासी अनुरोध शुरू करते समय पैन वैकल्पिक होगा।
4	निकासी की समय सीमा में कमी	समान दिवस पे-इन में आंशिक/सशर्त निकासी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए निकासी की समय-सीमा में कमी।
5	सरकारी क्षेत्र में नोडल अधिकारियों के माध्यम से स्व-घोषणा के जरिए आंशिक निकासी प्रस्तुत करना	1. सरकारी क्षेत्र के लिए अभिदाता की स्व-घोषणा पर आधारित आंशिक/सशर्त निकासी और सीआरए प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रसंस्करण की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। 2. स्व-घोषणा पर आधारित आंशिक निकासी के प्रसंस्करण हेतु अनुरोध को नोडल अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत करना होगा।
6	एनपीएस नियमित - निपटान (नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान को इंगित करने हेतु अलग बकेट)	अंशदान अपलोड के दौरान लागू नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान को इंगित करने हेतु अलग-अलग बकेट का निर्माण।

सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
7	एनपीएस लाइट/एपीवाई - डैशबोर्ड	राज्य/जिला स्तरीय डैशबोर्ड हेतु पीएफआरडीए/एसएलबीसी के सिस्टम एक्सेस की रिपोर्ट : 1. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को राज्य के अधीन मौजूद बैंक शाखाओं की प्रगति की निगरानी के लिए पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट देना होता है। 2. प्रगति की निगरानी के लिए, एनपीएस लाइट एप्लिकेशन में डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाई गई है। एसएलबीसी द्वारा इस डैशबोर्ड तक पहुँचा जा सकता है। 3. डैशबोर्ड रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए SLBC की उपयोगकर्ता ID बनाई गई हैं।
8	अक्षमता के कारण निकासी	इस श्रेणी के अंतर्गत निकासी के लिए अभिदाता के पास एक अतिरिक्त विकल्प है – "अक्षमता के कारण निकासी"
9	एनपीएस रेगुलर – पारिवारिक आय विकल्प	1. नोडल कार्यालय /अभिदाता द्वारा उसकी वैवाहिक स्थिति को ध्यान दिए बिना एनपीएस - पारिवारिक आय विकल्प को चुना जा सकता है। 2. "अविवाहित" होने के बावजूद, नोडल कार्यालय/ अभिदाता द्वारा योजना चुनी जा सकती है।
10	सीसीएस नियमों के कारण होने वाले बदलाव	1. वर्तमान में सीसीएस नियमों के भाग के रूप में, फॉर्म 1 और 2 का विवरण प्रस्तुत करते समय, चयन के लिए केवल दो विकल्प उपलब्ध हैं, 'सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत लाभ' और 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लाभ'। 2. मौजूदा विकल्पों के अलावा निम्नलिखित दो नए विकल्पों को जोड़ा गया है – 'सीसीएस पेंशन अमान्य फ्लैग' 'पदत्याग के बाद 90 दिनों के भीतर मृत्यु फ्लैग'

अनुलग्नक II - वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान केफिन सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ

क्रम	विकास / कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	निकास और प्रत्याहरण दस्तावेज़ अपलोड करना	1. निकास और प्रत्याहरण अनुरोध शुरू करते समय नोडल कार्यालय/पीओपी/अभिदाता द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाने का प्रावधान बनाया गया है। 2. उक्त कार्यप्रणाली ईएनपीएस लॉगिन के साथ-साथ सीआरए प्रणाली में भी शुरू की गई है।
2	आंशिक निकासी अनुरोध शुरू करते समय % या राशि इनपुट करने का विकल्प.	1. अभिदाता के पास आंशिक निकासी अनुरोध शुरू करते समय % या राशि इनपुट करने का विकल्प है। 2. उक्त कार्यप्रणाली को ई-एनपीएस लॉगिन में भी शुरू किया गया है।
3	सरकारी अभिदाताओं की इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (ISS)	1. सरकारी अभिदाता हेतु नोडल कार्यालय से जुड़ी कार्यप्रणाली शुरू की गई है । इसमें सीआरए प्रणाली में इंटर सेक्टर शिफ्टिंग के दौरान PRAN को N के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। 2. अगर यह सिद्ध हो जाता है कि अभिदाता ने निकास नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है तो इस प्रणाली में, ऐसे अभिदाता के लिए सरकार द्वारा नियोक्ता के सम्पूर्ण अंशदान या उसके एक भाग को रोकने की अनुमति दी गयी है।
4	एनपीएस सरकारी अभिदाताओं के लिए आंशिक प्रत्याहरण	1. सरकारी क्षेत्र के लिए स्व-घोषणा पर आधारित अभिदाता की आंशिक/सशर्त निकासी और सीआरए प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रसंस्करण को समाप्त कर दिया गया है। 2. स्व-घोषणा के साथ आंशिक निकासी अनुरोध को प्रसंस्करण के लिए नोडल अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक III - वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान सीएएमएस सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ

क्रम	विकास/ कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	अभिदाता सेवा कार्यप्रणाली - गैर-वाणिज्यिक लेनदेन	निम्नलिखित अभिदाता सेवा कार्यप्रणालियों में वृद्धि : 1. नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, फोटो और हस्ताक्षर के लिए केवाईसी आधारित अपडेट 2. नामिती 3. FATCA 4. RA पहचान पत्र 5. स्टेटमेंट वरीयता - भौतिक / ईमेल 6. eNPS से POP की शिफ्टिंग 7. टियर-II खाता सक्रियण
2	अभिदाता सेवा कार्यप्रणाली - वाणिज्यिक लेनदेन	1. PFM परिवर्तन 2. योजना वरीयता परिवर्तन 3. वन-वे स्विच - टियर II से टियर I तक धन का अंतरण
3	अभिदाता पंजीकरण फॉर्म को डिजिटल रूप से प्राधिकृत करना	डबल ओटीपी के माध्यम से जमा किए गए अभिदाता पंजीकरण फॉर्म को डिजिटल रूप से प्राधिकृत करना।
4	अभिदाता के लॉगिन पासवर्ड की लंबी वैधता	अभिदाता लॉगिन पासवर्ड की वैधता को 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया।
5	एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर (एनपीपी) - सेवानिवृत्ति आय में पर्याप्तता के लिए SELF PLANNING CUM ADVISORY उपकरण	एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर अभिदाता के लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध है।
6	खाता संकलनकर्ता – FIP के तौर पर Data Push	सीएएमएस सीआरए खाता संकलनकर्ता (AA) फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता (FIP) की भूमिका निभाएगा।
7	निकासी स्थिति की जानकारी (माई विड्राल मॉड्यूल MWM)	अभिदाता, अपने एनपीएस खाते में लॉग इन किए बिना, अपने निकासी अनुरोध की प्राप्ति की क्रेडिट स्थिति देख सकते हैं।